कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 01/09/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 31.08.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 655/2025 धारा 85,115(2),108 बीएनएस में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 655/2025 धारा 85,115(2),108 बीएनएस में वाँछित अभियुक्त 1.राणा अरविन्द कुवर पुत्र राणा सिंह यादव निवासी नियाजी मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर 2.राणा सिंह यादव पुत्र स्व: पुरुषोत्तम सिंह यादव निवासी नियाजी मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद ग़ाज़ीपुर को महुआबाग चौराहे के पास से गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता

1 .राणा अरविन्द कुवर पुत्र राणा सिंह यादव निवासी नियाजी मोहल्ला थाना कोतवाली जिला गाजीपुर
2 .राणा सिंह यादव पुत्र स्व: पुरुषोत्तम सिंह यादव निवासी नियाजी मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद ग़ाज़ीपुर

आपराधिक इतिहास –

1 .मु0अ0सं0 655/2025 धारा 85,115(2),108 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

2. महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पुलिस लाइंस गाजीपुर में मध्यस्थता के माध्यम से अलग हुए 04 परिवारों की कराई गई सकुशल विदाई।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 31.08.2025 को पुलिस लाइन प्रांगण में महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केन्द्र गाजीपुर में पति-पत्नी के विवाद से सम्बन्धित कुल 42 प्रकरण को सुना गया। जिसमें काफी समय से विवादित चल रहे 04 प्रकरण में दोनों पक्षो को बैठाकर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भुलाकर विदाई करायी गयी। 18 प्रकरण में

मध्यस्थता विफल होने के कारण विधिक कार्यवाही का सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई एवं 08 परिवारिक विवाद में कुशलता प्रकट होने के बाद पत्रावली बंद कर दी गई। शेष परिवारिक विवाद में मध्यस्थता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई। सभी प्रकरण के निस्तारण में विक्रमादित्य मिश्र, वीरेंद्र नाथ राम, कमरूद्दीन, पूजा श्रीवास्तव, महिला आरक्षी रागिनी चौबे , महिला आरक्षी सोनाली, महिला आरक्षी सबिता, महिला आरक्षी अभिलाषा, महिला आरक्षी संध्या,महिला होमगार्ड उर्मिला गिरी आदि लोग प्रमुख थे

3. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 246/2025 धारा 115(2),352,351(3),110 बी0एन0एस0 से सम्बंधित 03 नफर अभियुक्त/अभियुक्तागण को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण - अभियुक्तगण द्वारा दिनांक- 24.08.2025 को समय करीब 19.00 बजे ग्राम कानाडीह में एक राय होकर बरसात के पानी को बहाने की बात को लेकर झगड़ा करते हुए लाठी एवं डण्डों से मारपीट की गई जिसमें मजरूब अशोक पुत्र स्व0 सत्यनरायण बिन्द निवासी ग्राम कानाडीह पोस्ट फतेउल्लाहपुर थाना नन्दगंज उम्र 48 वर्ष गम्भीर रूप स् घायल हो गए। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/2025 धारा- 115(2), 352, 351(3), 110 बी0एन0एस0 में अभियोग पंजीकृत करवाया गया था किन्तु दिनांक- 30.08.2025 को उक्त मुकदमे से सम्बन्धित मजरूब अशोक कुमारा की ट्रामा सेण्टर वाराणसी में दवा ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 31.08.2025 को उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त गण 1.बाजा उर्फ बजरंजी 2.बुझारत व 3. शीला बिन्द को पहलवानपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/अभियुक्तागण के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/अभियुक्तागण का नाम व पता-

1.बाजा उर्फ बजरंजी बिन्द पुत्र सुखराम बिन्द निवासी ग्राम कानाडीह थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 60 वर्ष

2.बुझारत बिन्द पुत्र बाजा उर्फ बजरंजी बिन्द निवासी ग्राम कानाडीह थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 40 वर्ष

3.शीला बिन्द पत्नी बुझारत बिन्द निवासी ग्राम कानाडीह थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 38 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान- पहलवानपुर नहर पुलिया के पास थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 246/2025 धारा 115(2),352,351(3),105 बीएनएस थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

4. थाना रेवतीपुर पुलिस द्वारा मानसिक विक्षिप्त महिला को उसके परिजनों को किया गया सुपुर्द।

थाना रेवतीपुर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 30.08.2025 को यूपी डायल 112 पर इवेण्ट न0 2590 सूचना मिली कि एक महिला रोड पर मिली है अपना नाम पता भी नही बता पा रही है, सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची। तत्पश्चात थाना स्थानीय से पुलिस फोर्स उ0नि0 श्री आबिद अली व म0आ0 सोनम मौर्या द्वारा मौके पर पहुंचकर सम्बन्धित महिला को म0आ0 सोनम मौर्या की सुपुर्दगी में लेकर ग्राम उतरौली से थाना हाजा पर लाया गया। विश्वास में लेकर पूछताछ पर उक्त अर्द्ध विक्षिप्त महिला द्वारा अपना नाम गुंजन देवी एवं पता महिखण्ड, पूर्णिया राज्य बिहार बताया गया। तत्पश्चात थानाध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी करते हुए सम्बन्धित थाने का पता लगाकर जरिये सीयूजी सम्बन्धित थाना प्रभारी से वार्ता कर उक्त महिला गुंजन देवी उपरोक्त के सम्बन्ध में

परिवारीजन को सूचित करने हेतु बताया गया। थाना रेवतीपुर पुलिस के अथक प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 31.08.2025 को उक्त महिला के परिजन/पिता श्री राजेन्द्र मण्डल व अन्य निवासी ग्राम महिखण्ड थाना बीकोठी जनपद पूर्णिया, उपस्थित थाना हाजा आये एवं बाद तस्दीक करने नाम पता महिला गुंजन देवी को उनके पिता श्री राजेन्द्र मण्डल एवं बेटा सोनू कुमार से मिलाया गया तथा परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया। परिजनों द्वारा पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए सह्दय धन्यवाद किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर